गौतम कुंडू

बनाम

मनोज कुमार सहायक निदेशक,

पूर्वी क्षेत्र, प्रवर्तन निदेशालय

(धन शोधन निवारण अधिनियम)

भारत सरकार

(आपराधिक अपील संख्या 2015 की 1706)

16 दिसंबर 2015

[न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष और आर.के. अग्रवाल]

जमानत- धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) की धारा 4 के अधीन अभियोजन- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) की धारा 24 के अधीन लंबित – द. प्र. सं. की धारा 439 के अधीन जमानत आवेदन- उच्च न्यायालय द्वारा इस आधार पर अस्वीकार कर दिया ने कहा कि ऐसा कोई आदेश नहीं था कि आवेदक के विरुद्ध धारा 24 के तहत कोई अपराध नहीं किया गया हो- अभिनिर्धारित: द. प्र. सं. की धारा 5 और पीएमएलए की धारा 45 का गैर-अप्रत्याशित खंड के मद्देनजर, एक विशेष क़ानून होने के कारण पीएमएलए किसी भी विवाद की स्थिति में द. प्र. सं. के सामान्य प्रावधानों पर हावी होगा- पीएमएलए की धारा 45 में जमानत देने की शर्तें द. प्र. सं. की धारा 439 के प्रावधानों पर अधिभावी प्रभाव डालती हैं- सेबी अधिनियम की धारा 24 के तहत, जब तक कि विपरीत साबित न हो जाए, प्राधिकरण/न्यायालय यह मान लेगा कि अपराध की आय धन-शोधन में शामिल है- मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, उच्च न्यायालय ने

जमानत देने से इनकार कर दिया- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973- धारा 439- धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002- धारा 4- भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 2002- धारा 24 ।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया-

1. धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) धन शोधन के अपराध से संबंधित है और संसद ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रति देश की प्रतिबद्धता के अनुसार इस कानून को अधिनियमित किया है। पीएमएलए धन शोधन से निपटने के लिए संसद द्वारा अधिनियमित एक विशेष क़ानून है। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 5 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान किसी विशेष क़ानून या किसी स्थानीय कानून को प्रभावित नहीं करेंगे। दूसरे शब्दों में, किसी भी संघर्ष की स्थिति में किसी विशेष क़ानून के प्रावधान दण्ड प्रक्रिया संहिता के सामान्य प्रावधानों पर हावी होंगे। [परिच्छेद 28) [515-ए-सी]

2. पीएमएलए की धारा 45 एक गैर- अप्रत्याशित खंड से शुरू होती है जो इंगित करती है कि पीएमएलए की धारा 45 में निर्धारित प्रावधान उनके बीच संघर्ष की स्थिति में दण्ड प्रक्रिया संहिता के सामान्य प्रावधानों पर अत्यधिक प्रभाव डालेंगे। पीएमएलए की धारा 45 पीएमएलए की अनुसूची के भाग-ए के तहत तीन साल से अधिक की कारावास की सजा वाले अपराध के आरोपी किसी भी व्यक्ति को जमानत देने के लिए निम्नलिखित दो शर्तें लगाती है: (i) अभियोजक को जमानत के आवेदन का विरोध करने का अवसर दिया जाना चाहिए; और (ii) न्यायालय को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि आरोपी व्यक्ति ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। [परिच्छेद 29] [515-डी-ई]

3. पीएमएलए की धारा 45 के तहत निर्दिष्ट शर्तें अनिवार्य हैं और उनका अनुपालन किया जाना आवश्यक है, जिसे पीएमएलए की धारा 65 और धारा 71 के प्रावधानों द्वारा और भी मजबूत किया गया है। पीएमएलए का एक सर्वव्यापी प्रभाव है और द. प्र. सं. के प्रावधान केवल तभी लागू होंगे जब वे इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं होंगे। इसलिए, सीआरपीसी की धारा 439 के तहत जमानत के लिए आवेदन के संबंध में भी पीएमएलए की धारा 45 में उल्लिखित शर्तों का पालन करना होगा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 24 के प्रावधानों के साथ यह प्रावधान है कि जब तक विपरीत साबित न हो, प्राधिकरण या न्यायालय यह मान लेगा कि अपराध की आय धन शोधन में शामिल है और यह साबित करने का बोझ कि आय अपराध में शामिल नहीं हैं, अपीलकर्ता पर निर्भर है। [परिच्छेद 30] [515-एच; 516-ए-बी]

4. इसमें कोई संदेह नहीं है कि पीएमएलए की धारा 45 के तहत निर्धारित शर्तें, सीआरपीसी की धारा 439 के प्रावधानों पर अधिभावी प्रभाव डालने वाले विशेष कानून के प्रावधानों के रूप में पीएमएलए की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध करने के आरोपी किसी भी व्यक्ति को जमानत देने के लिए, उच्च न्यायालय को बाध्य करेंगी। भले ही जमानत के लिए आवेदन सीआरपीसी की धारा 439 के तहत विचार किया जा रहा हो। [परिच्छेद 33] [518-जी]

सुब्रत चट्टोराज बनाम भारत संघ और अन्य 2014(6) एससीआर 783: (2014) 8 एससीसी 768; वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो (2013) 7 एससीसी 439; भारत संघ बनाम हसन अली खान 2011 (11) एससीआर 778: (2011) 10 एससीसी 235-संदर्भित।

5. उच्च न्यायालय ने सभी प्रासंगिक कागजात मंगवाए और उन पर विधिवत ध्यान दिया और उसके बाद अपनी अंतःकरण की संतुष्टि के बाद जमानत देने से इनकार कर दिया। इसलिए, उच्च न्यायालय ने दी गई परिस्थितियों में जमानत देने से इनकार करके कोई गलती नहीं की है। [परिच्छेद 38] [521-सी]

एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड v चेरियन वर्की कंस्ट्रक्शन कंपनी (पी) लिमिटेड 2010 (8) एससीआर 1053: (2010) 8 एससीसी 24; गुरुदेवत्ता वीकेएसएसएस मर्यादित बनाम महाराष्ट्र राज्य 2001 (2) एससीआर 654: (2001) 4 एससीसी 534; विजिटर, एएमयू बनाम के.एस. मिश्रा 2007 (9) एससीआर 763: (2007) 8 एससीसी 593; मध्य प्रदेश राज्य बनाम बलदेव प्रसाद 1961 (1) एससीआर 970; हरकचंद रतनचंद बांठिया और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य 1970 (1) एससीआर 479: (1969) 2 एससीसी 166; ए.के. रॉय एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य (1982) एससीआर 272- संदर्भित।

निर्णय विधि संदर्भ

2010 (8) एससीआर 1053	परिच्छेद 18 को संदर्भित करता है
2001 (2) एससीआर 654	परिच्छेद 19 को संदर्भित करता है
2007 (9) एससीआर 763	परिच्छेद 19 को संदर्भित करता है
1961 (1) एससीआर 970	परिच्छेद 21 को संदर्भित करता है
1970 (1) एससीआर 479	परिच्छेद 21 को संदर्भित करता है
(1982) एससीआर 272	परिच्छेद 21 को संदर्भित करता है
2014 (6) एससीआर 783	परिच्छेद 34 को संदर्भित करता है
(2013) 1 एससीसी 439	परिच्छेद 36 को संदर्भित करता है

2011 (11) एससीआर 778 परिच्छेद 36 को संदर्भित करता है

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 1706/2015

2015 के सीआरएम संख्या 6285 में दिनांक 21.07.2015 के कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश से।

गोपाल सुब्रमण्यम और के.वी. विश्वनाथन, वरिष्ठ अधिवक्तागण, ज़ोहेब हुसैन, सुश्री अदीबा मुजाहिद, अभिजीत पी. मेध, अपीलकर्ता के लिए अधिवक्तागण।

रंजीत कुमार, महान्यायभिकर्ता, सुश्री बीनू टम्टा, अमल चितले, राजीव सिंह (बी.के. प्रसाद के लिए), डॉ. शम्सुद्दीन और मनोज सिंह (बी.के. प्रसाद के लिए), प्रत्यर्थी के लिए अधिवक्तागण।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया-

न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष द्वारा

1. अनुमति स्वीकृत।

2. यह अपील, विशेष अनुमति द्वारा, कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा 2015 के सीआरएम नंबर 6285 में पारित 21 जुलाई 2015 के फैसले और आदेश के खिलाफ निर्देशित है जिसके तहत उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 439 के तहत जमानत के लिए अपीलकर्ता के आवेदन को खारिज कर दिया है। अपीलकर्ता को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (इसके बाद "पीएमएलए" के रूप में संदर्भित) की धारा 3 के तहत किए गए कथित अपराध के संबंध में 25.03.2015 को गिरफ्तार किया गया था।

3. अपीलकर्ता रोज़ वैली रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (बाद में "रोज़ वैली" के रूप में संदर्भित) का अध्यक्ष है, जो वर्ष 1999 में निगमित और कंपनी अधिनियम

1956 के तहत पंजीकृत एक सार्वजनिक कंपनी है। रोज़ वैली द्वारा 'निजी प्लेसमेंट पद्धति' के जरिये कुछ गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर जारी किए गए थे । जनता को कोई विज्ञापन आदि जारी नहीं किये गये। डिबेंचर के निजी प्लेसमेंट की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उक्त डिबेंचर, कंपनी के कर्मचारियों और उनके दोस्तों और सहयोगियों को, जारी किए गए थे। इस प्रकार अपीलकर्ता ने समय-समय पर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में निजी प्लेसमेंट के माध्यम से सुरक्षित डिबेंचर जारी करके धन एकत्र किया।

4. 26.03.2013 को, न्यायनिर्णायक अधिकारी, सेबी ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (इसके बाद सेबी अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 11 (सी) के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए रोज़ वैली पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश पारित किया जिसे प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण, मुंबई द्वारा घटाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया था। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") द्वारा 26.06.2013 को अपीलकर्ता रोज़ वैली को एक पत्र जारी किया गया था जिसमें अपीलकर्ता को कंपनी अधिनियम, सेबी अधिनियम और विनियमों और भारतीय दंड संहिता की धारा 405 के तहत उसके द्वारा किए गए कथित अपराधों के बारे में सूचित किया गया था। प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील को 12.12.2013 को यह कहते हुए अनुमति दी गई थी कि अपीलकर्ता कंपनी ने निवेशकों से एकत्र किए गए सभी पैसे चुका दिए हैं। प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण ने आगे कहा कि सेबी अधिनियम की धारा 11 (सी)(3) के उल्लंघन का कोई आधार नहीं है।

5. सेबी द्वारा जारी दिनांक 26.06.2013 के उपरोक्त पत्र के आधार पर, प्रत्यर्थी ने ECIR संख्या KIZO/02/2014 दिनांक 27.02.2014 को एक रिपोर्ट दर्ज की, जिसमें रोज़ वैली और उसके अधिकारियों द्वारा अपराध करने का आरोप लगाया गया, जो कि

सेबी अधिनियम की धारा 24 के तहत दंडनीय है। इसके बाद रोज़ वैली के कार्यालयों में तलाशी और जब्ती की गई।

6. प्रत्यर्थी अधिकारियों द्वारा 2013 के सी/14214 के तहत एक शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि रोज़ वैली ने डिबेंचर जारी करके जुटाई गई धनराशि को एक कंपनी के खाते से दूसरी कंपनी के खाते में स्थानांतरित कर दिया था। यह भी आरोप है कि एक व्यवसाय के उद्देश्य से डिबेंचर जारी करके एकत्र किए गए धन को किसी अन्य व्यवसाय में निवेश किया गया है। सेबी अधिनियम की धारा 24 के तहत कार्यवाही को पुनरीक्षण के माध्यम से उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है और उक्त पुनरीक्षण सुनवाई के लिए लंबित है और 2013 का सी/14214 होने के कारण शिकायत के मामले की आगे की कार्यवाही पर उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई है। उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी को अपीलकर्ता के खिलाफ कोई भी कठोर कदम नहीं उठाने का भी निर्देश दिया।

7. सेबी ने अपने आदेश दिनांक 18.06.2014 के तहत अपीलकर्ता रोज़ वैली को आशीर्वाद योजना के ग्राहकों को पैसा वापस करने का निर्देश दिया। इस आदेश को 2014 की अपील संख्या 233 के माध्यम से प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती दी गई थी। 19.06.2014 को रोज़ वैली और उसके अधिकारियों को पीएमएलए की धारा 8(1) के तहत एक कारण बताओ नोटिस दिया गया था। रोज़ वैली ने उक्त कारण बताओ नोटिस को चुनौती देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। उक्त रिट याचिका को उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने खारिज कर दिया था। इसके बाद, मामले को 2014 के एएसटी संख्या 345 के रूप में कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष अपील में ले जाया गया। उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने उक्त अपील को खारिज कर दिया और अपीलकर्ता रोज़ वैली को पीएमएलए की धारा 8 के तहत निर्णायक प्राधिकरण के समक्ष पेश होने का निर्देश

दिया और निर्णायक प्राधिकरण को रोज़ वैली द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्तियों पर निर्णय लेने का निर्देश दिया जिसमें पीएमएलए की प्रयोज्यता और रोज़ वैली के खिलाफ तलाशी और जब्ती की वैधता भी। आगे यह निर्देश दिया गया कि निर्णायक प्राधिकारी को मामले में एक तर्कसंगत आदेश पारित करना चाहिए और ऐसे आदेश पारित करने की तारीख से दो दिनों के भीतर अपीलकर्ता रोज़ वैली को इसकी सूचना देनी चाहिए।

8. प्रत्यर्थी द्वारा 2 अप्रैल 2015 को कोलकाता में सिटी सत्र न्यायालय के विद्वान मुख्य न्यायाधीश की अदालत में अपीलकर्ता के खिलाफ पीएमएलए की धारा 4 के तहत एक शिकायत दर्ज की गई थी हालांकि पीएमएलए की धारा 3 के तहत अपीलकर्ता के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है। उक्त शिकायत 2015 के एमएल केस नंबर 3 के रूप में दर्ज की गई है। जांच में पूरा सहयोग करने के बावजूद, अपीलकर्ता को पीएमएलए के प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराध करने के संदेह में 25.03.2015 को गिरफ्तार किया गया था और तब से हिरासत में रखा गया है।

9. जब अपीलकर्ता हिरासत में था, उसके पिता की मृत्यु 06.04.2015 को हो गई, जिसके बाद उसने अपने मृत पिता के लिए अनुष्ठान करने के लिए अंतरिम जमानत के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश 08.04.2015 के तहत अपीलकर्ता को उक्त आदेश में उल्लिखित शर्तों पर दो सप्ताह के लिए अनंतिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया। अनंतिम जमानत की अवधि पूरी होने पर, अपीलकर्ता ने कोलकाता में सिटी सेशन कोर्ट के विद्वान मुख्य न्यायाधीश की अदालत के समक्ष विधिवत आत्मसमर्पण कर दिया।

10. 06.07.2015 को अपीलकर्ता ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत 2015 की सीआरएम संख्या 6285 की एक नई

जमानत याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने अपने फैसले और आदेश के तहत अपीलकर्ता के उक्त आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा अभी तक कोई आदेश पारित नहीं किया गया है कि सेबी अधिनियम की धारा 24 के तहत अपीलकर्ता के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि सेबी अधिनियम की धारा 24 के तहत अपीलकर्ता के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना करने वाला एक आपराधिक पुनरीक्षण अभी भी उच्च न्यायालय के समक्ष निर्णय के लिए लंबित है।

11 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत दायर जमानत आवेदन की नामंजूरी से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने विशेष अनुमति द्वारा इस अपील के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

12. हमने अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोपाल सुब्रमण्यम और भारत के विद्वान महान्यायभिकर्ता श्री रंजीत कुमार को भी सुना है। अधिवक्ता वकील द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतिकरण की उचित सराहना के लिए पक्षकारों की ओर से उपस्थित होने पर, दोनों पक्षों की ओर से उद्धृत प्राधिकारियों पर विचार करना आवश्यक होगा।

13. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोपाल सुब्रमण्यम ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता के खिलाफ पीएमएलए के तहत कोई अपराध नहीं बनता है क्योंकि सेबी अधिनियम की धारा 24 पीएमएलए के तहत एक अलग अनुसूचित अपराध नहीं है। सेबी अधिनियम की धारा 24 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 12ए 2009 से पीएमएलए के तहत अनुसूचित अपराध है। न तो सेबी द्वारा दायर की गई शिकायत और न ही प्रत्यर्थी द्वारा दायर की गई शिकायत (जो पूरी तरह से सेबी

की शिकायत पर आधारित है) अपीलकर्ता पर सेबी अधिनियम की धारा 24 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 12ए के उल्लंघन के लिए मुकदमा चलाती है।

14. अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, सेबी अधिनियम की धारा 24 को, 15.02.2013 से प्रभाव के साथ, पहली बार पीएमएलए (संशोधन) अधिनियम, 2012 के माध्यम से पीएमएलए की अनुसूची में अलग से मुद्रित किया गया था, जो स्पष्ट रूप से एक अनजाने में हुई मुद्रण त्रुटि है। सेबी अधिनियम की धारा 24 के लिए पीएमएलए की अनुसूची के परिच्छेद 11 के तहत दिए गए अपराध का विवरण "प्रतिभूतियों का अधिग्रहण या नियंत्रण" के रूप में पढ़ा जाता है, जो सेबी अधिनियम के तहत धारा में दिए गए विवरण से अलग है, जो धारा को "अपराध" के रूप में वर्णित करता है। बल्कि शीर्षक "प्रतिभूतियों का अधिग्रहण या नियंत्रण" धारा 24 के साथ पठित धारा 12ए के शीर्षक का हिस्सा है जो अनुसूचित अपराध है। पीएमएलए की अनुसूची का प्रासंगिक उद्धरण, जैसा कि 2009 के संशोधन के बाद था, इस प्रकार है:

अनुच्छेद 8- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिनियम, 1992 (1992 का 15)

12ए धारा 24 के साथ पढ़ा जाए	चालाकीपूर्ण और भ्रामक उपकरणों, अंदरूनी व्यापार और पर्याप्त अधिग्रहण का निषेध प्रतिभूतियाँ या नियंत्रण

पीएमएलए की अनुसूची का प्रासंगिक उद्धरण 15.02.2013 से प्रभाव के साथ 2012 के संशोधन अधिनियम के बाद आज मौजूद है जो कि इस प्रकार है:

अनुच्छेद 11- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिनियम, 1992 (1992 का 15)

12ए धारा 24 के साथ पढ़ा जाए	चालाकीपूर्ण और भ्रामक उपकरणों, अंदरूनी व्यापार और सारवान् का निषेध ।
धारा 24	प्रतिभूतियों का अधिग्रहण या नियंत्रण

15. अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यदि दोनों पंक्तियों में परिच्छेद 11 में धाराओं के विरुद्ध निर्धारित अपराधों को एक साथ पढ़ा जाता है तो वही सेबी अधिनियम की धारा 12 ए के शीर्षक के रूप में दिखाई देगा। अनुसूची के भाग ए के परिच्छेद 11 के तहत दो पंक्तियों को संयुक्त रूप से पढ़ने से पता चलेगा कि यह वास्तव में पीएमएलए की अनुसूची के भाग बी के परिच्छेद 8 का पुनरुत्पादन है जैसा कि 15.02.2013 को प्रभावी संशोधन से पहले प्रचलित था और इसलिए स्थिति अपरिवर्तित बनी हुई है। सेबी अधिनियम की धारा 12ए इस प्रकार है:

"चालाकीपूर्ण और भ्रामक उपकरणों, अंदरूनी व्यापार और प्रतिभूतियों या नियंत्रण के पर्याप्त अधिग्रहण पर प्रतिबंध।

12ए. कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से-

(ए) किसी मान्यता प्राप्त शेयर बाजार में सूचीबद्ध या सूचीबद्ध होने के लिए प्रस्तावित किसी भी प्रतिभूतियों के मुद्दे, खरीद या बिक्री के संबंध में इस अधिनियम के प्रावधानों या इसके तहत बनाए गए नियमों या विनियमों के उल्लंघन में किसी चालाकी या भ्रामक उपकरण या युक्ति का उपयोग या नियोजित नहीं करेगा।;

(बी) किसी मान्यता प्राप्त शेयर बाजार में सूचीबद्ध या सूचीबद्ध होने के लिए प्रस्तावित प्रतिभूतियों के मुद्दे या लेनदेन के संबंध में धोखाधड़ी करने के लिए किसी भी उपकरण, चालाकी की योजना का उपयोग करना;

(सी) किसी ऐसे कार्य, अभ्यास, व्यवसाय के पाठ्यक्रम में संलग्न होना जो किसी भी व्यक्ति पर कपट या धोखे के रूप में संचालित होता है या संचालित होगा, इस मुद्दे के संबंध में, इस अधिनियम के प्रावधानों या इसके तहत बनाए गए नियमों या विनियमों का उल्लंघन में, उन प्रतिभूतियों में लेनदेन करना जो किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने के लिए प्रस्तावित हैं;

(डी) अंदरूनी व्यापार में संलग्न;

(ई) तात्विक या गैर-सार्वजनिक जानकारी रखते हुए प्रतिभूतियों में सौदा करना या ऐसी तात्विक या गैर-सार्वजनिक जानकारी को किसी अन्य व्यक्ति को इस तरीके से संप्रेषित करना जो इस अधिनियम के प्रावधानों या उसके तहत बनाया गये नियमों या विनियमों के का उल्लंघन है;

(एफ) इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के उल्लंघन में किसी कंपनी की सामान्य शेयर पूंजी के प्रतिशत से अधिक किसी भी कंपनी या प्रतिभूतियों का नियंत्रण प्राप्त करना, जिनकी प्रतिभूतियां किसी मान्यता प्राप्त शेयर बाजार में सूचीबद्ध हैं या सूचीबद्ध होने का प्रस्ताव है।

सेबी अधिनियम की धारा 24 इस प्रकार है:

"24. अपराध- (1) इस अधिनियम के तहत न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा दंड के किसी भी निर्णय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रावधानों या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम या विनियम का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयास करता है या उल्लंघन के लिए उकसाता है तो उसे कारावास

की सजा हो सकती है जिसे दस साल तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना जो कि पच्चीस करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

(2) यदि कोई व्यक्ति न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा लगाए गए जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहता है या उसके किसी भी निर्देश या आदेश का पालन करने में विफल रहता है तो वह कारावास, जिसकी अवधि एक महीने से कम नहीं होगी लेकिन जिसे दस साल तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना जो पच्चीस करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों, से दण्डनीय होगा।

16. अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, यह तथ्य कि 2012 के संशोधन के माध्यम से कोई नया अपराध नहीं जोड़ा जाना था, 2012 के संशोधन के "उद्देश्यों और कारणों के विवरण", साथ ही संशोधन अधिनियम, 2012 पर "खंडों पर टिप्पणियाँ" और 2009 के पीएमएलए की अनुसूचियों और 2012 के संशोधित पीएमएलए की तुलना को पढ़ने से स्पष्ट है। अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रत्यर्थी, सेबी अधिनियम की धारा 24 एक अलग अनुसूचित अपराध के रूप में सरल है, गलत तरीके से पढ़ रहा है जबकि धारा 24, सेबी अधिनियम के किसी भी प्रावधान या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम या विनियम के उल्लंघन के लिए, एक सामान्य दंड प्रावधान है।

17. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि यदि विधायिका का इरादा अकेले सेबी अधिनियम की धारा 24 को एक अपराध के रूप में शामिल करना था तो उस स्थिति में "12ए धारा 24 के साथ पढ़ें" को शामिल करने की कोई आवश्यकता नहीं होती क्योंकि सेबी अधिनियम की धारा 24 में यह प्रावधान है कि सेबी अधिनियम के प्रावधानों के सभी उल्लंघन सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 24 के संदर्भ में दंडनीय होंगे। यदि विधायिका का यही इरादा होता तो

विधायिका या तो "सेबी अधिनियम, 1992 के तहत अपराध और दंड" या केवल धारा 24 और उसके शीर्षक का अनुसूचित अपराध के रूप में उल्लेख करती। यदि विधायिका धारा 24 को एक अलग अनुसूचित अपराध के रूप में शामिल करने का आशय रखती तो धारा 12ए को अलग से निर्दिष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं थी या नहीं हो सकती थी।

18. इसके अलावा, प्रवर्तन निदेशालय की अपनी वेबसाइट पर "FAQs" शीर्षक वाले दस्तावेज़ में पीएमएलए की अनुसूची का उल्लेख है जो सेबी अधिनियम की धारा 12A सपठित धारा 24 को एक अनुसूचित अपराध मानता है न कि केवल धारा 24 को। इसी तरह वित्त मंत्रालय की वित्तीय खुफिया इकाई की वेबसाइट पर पीएमएलए की अनुसूची में सेबी अधिनियम की धारा 12ए सपठित 24 को अनुसूचित अपराध के रूप में उल्लेख किया गया है न कि केवल धारा 24 का। यह अनुसूची के बारे में प्राधिकरण/सरकार की अपनी समझ को दर्शाता है। इस प्रकार यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि पीएमएलए की अनुसूची के तहत सेबी अधिनियम की धारा 24 की अलग से छपाई एक अनजाने टंकण त्रुटि के माध्यम से है जो कानून में आ गई है जैसा कि उसमें सीमांत टिप्पणी से स्पष्ट है। क़ानूनों की व्याख्या का यह एक स्वीकृत सिद्धांत है कि जहां कोई अनजानी व्याकरण संबंधी या अन्य त्रुटि कानून में स्पष्ट रूप से आ गई है तो न्यायालय क़ानून को लागू करने में त्रुटि की उपेक्षा करने के लिए स्वतंत्र है। (एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम चेरियन वर्की कंस्ट्रक्शन कंपनी {पी) लिमिटेड, (2010) 8 एससीसी 24)।

19. अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कहा कि पीएमएलए की अनुसूची में सेबी अधिनियम की धारा 24 के तहत अपराध का विवरण "प्रतिभूतियों का अधिग्रहण या नियंत्रण" है और भले ही धारा 24 को एक अलग अनुसूचित अपराध के रूप में माना जाता है, विवरण में प्रयुक्त शब्द को अर्थ देना होगा और इसके अनुप्रयोग

को अनुसूची में इसके अंतर्गत वर्णित अपराध तक सीमित रखना होगा। अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कहा कि इस न्यायालय ने कई निर्णयों में कहा है कि न्यायालय को विधायिका द्वारा इस्तेमाल किए गए प्रत्येक शब्द का अर्थ देना चाहिए और किसी कानून में शब्दों को अनुपयुक्त अधिशेष की तरह खारिज करना निर्माण का एक अच्छा सिद्धांत नहीं है, यदि वे कानून के दायरे में आने वाली परिस्थितियों में उचित आवेदन कर सकते हैं। [देखें: गुरुदेवत्ता वीकेएसएसएस मर्यादित बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2001) 4 एससीसी 534 परिच्छेद 26 पर)। इस न्यायालय द्वारा यह भी माना गया है कि "अदालतें हमेशा यह मानती हैं कि विधायिका ने इसके प्रत्येक भाग को एक उद्देश्य के लिए शामिल किया है और विधायी मंशा यह है कि क़ानून के प्रत्येक भाग का प्रभाव होना चाहिए। माना जाता है कि विधायिका अपने शब्दों को बर्बाद नहीं करती है या व्यर्थ में कुछ भी नहीं कहती है और एक निर्माण जो विधायिका के लिए अतिरेक का कारण बनता है उसे अनिवार्य कारणों के अलावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।" {विजिटर, एएमयू बनाम के.एस. मिश्रा, (2007) 8 एससीसी 593, परिच्छेद 13 पर))।

20. इसलिए अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया, पीएमएलए की अनुसूची में सेबी अधिनियम की धारा 24 के आगे आने वाले शब्द "प्रतिभूतियों का अधिग्रहण या नियंत्रण" को उचित अर्थ दिया जाना चाहिए और केवल उस सीमा तक इसका अर्थ लगाया जाना चाहिए जो अपराध, "प्रतिभूतियों के अधिग्रहण या नियंत्रण" से संबंधित है, पीएमएलए के तहत एक दंडनीय अपराध है और सेबी अधिनियम के तहत कोई अन्य उल्लंघन नहीं है।

21. अपीलकर्ता के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि धारा 24 अकेले ही पीएमएलए के तहत एक अनुसूचित अपराध नहीं हो सकती है क्योंकि यह एक विशिष्ट अपराध की गणना नहीं करती है बल्कि यह "कैचैल" दंड प्रावधान की प्रकृति है, जो सेबी अधिनियम, नियमों या विनियमों के किसी भी उल्लंघन

के लिए दंड लगाता है और विशेष रूप से किसी भी अपराध को सटीक रूप से परिभाषित या निर्दिष्ट नहीं करता है। धारा 24 को एक अलग अपराध के रूप में शामिल करना आपराधिक न्यायशास्त्र के मूल सिद्धांत का उल्लंघन होगा कि 'आपराधिक कानून स्पष्ट और सुस्पष्ट होना चाहिए।' इस न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में यह माना गया है कि आपराधिक कानून बिल्कुल स्पष्ट, विशिष्ट और अस्पष्ट नहीं होना चाहिए, अन्यथा यह मनमानी से ग्रस्त हो जाएगा। [संदर्भः (i) मध्य प्रदेश राज्य बनाम बलदेव प्रसाद, (1961) 1 एससीआर 970; (ii) हरकचंद रतनचंद बांठिया और अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य, (1969) 2 एससीसी 166; और (iii) ए.के. रॉय एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य, (1982) एससीआर 272)।

22. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा वैकल्पिक रूप से प्रस्तुत किया गया था कि यह मानते हुए कि यदि धारा 24 सरलीकृत को अनुसूचित अपराध माना जाता है तो इसे 15.02.2013 से पीएमएलए (संशोधन) अधिनियम, 2012 के माध्यम से पेश किया गया था यानी अपराध होने के बहुत बाद प्रतिबद्ध होने का आरोप लगाया गया है और अनुच्छेद 20(1) के तहत पूर्वव्यापी कानूनों के खिलाफ रोक लगाई जाएगी। पीएमएलए की धारा 2(यू) "अपराध की आय" को परिभाषित करती है और कहती है कि यह किसी अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप होना चाहिए। पीएमएलए की धारा 3 के तहत, धन शोधन के अपराध को शुरू करने के लिए यह स्थापित किया जाना चाहिए कि "अपराध की आय" इस तरह के अपराध की तारीख पर एक अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप थी। उन्होंने कहा कि कथित तौर पर अपराध वर्ष 2001 और 2007 के बीच किए गए थे। कथित अपराध के और अपीलकर्ता को सेबी अधिनियम की धारा 12ए सपठित धारा 24 के उल्लंघन का कथित रूप से आरोपी नहीं माने जाने के बहुत बाद सेबी अधिनियम की धारा 12ए सपठित धारा 24 के तहत

अपराध केवल धन शोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2009 के माध्यम से 01.06.2009 से अनुसूचित अपराध बन गया।

23. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी की ओर से पेश विद्वान महान्यायभिकर्ता श्री रंजीत कुमार ने प्रस्तुत किया कि रोज़ वैली ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़ ने 27 कंपनियाँ खोलीं, हालाँकि उनमें से दो, यानी रोज़ वैली रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ("रोज़ वैली") और रोज़ वैली होटल्स एंटरटेनमेंट लिमिटेड निवेशकों को (i) आशीर्वाद स्कीम, (ii) टाइम शेयर स्कीम, और (iii) डिबेंचर स्कीम में निवेश करने के लिए आकर्षित करने वाले अग्रणी धावक थे, जो निवेशकों को उच्च रिटर्न का वादा करते थे और बड़े पैमाने पर जनता से एकत्र किए गए धन को बाद में संबंधित कंपनियों में सफेद कर दिया गया। रोज़ वैली ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 56 का उल्लंघन करते हुए बिना कोई प्रस्ताव दस्तावेज़ दाखिल किए डिबेंचर का सार्वजनिक निर्गम जारी किया, न ही उसने प्रॉस्पेक्टस के बदले में बयान दर्ज किया, जैसा कि उसने दावा किया था। सेबी से प्राप्त जानकारी/दस्तावेजों के आधार पर, प्रत्यर्थी ने सेबी अधिनियम की धारा 24 के तहत अनुसूचित अपराध के लिए कलकत्ता में मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में शिकायत दर्ज की। प्रत्यर्थी ने 22.05.2014 और 23.05.2014 को रोज़ वैली समूह के परिसर की तलाशी ली जिसके परिणामस्वरूप आपत्तिजनक दस्तावेज़ और 37.07 लाख रुपये की भारतीय मुद्रा जब्त की गई। प्रत्यर्थी की तलाशी और जब्ती की कार्रवाई को अपीलकर्ता ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर करके चुनौती दी थी, जिसे 7.7.2014 को खारिज कर दिया गया था।

24. उन्होंने आगे कहा कि प्रत्यर्थी द्वारा की गई जांच से पता चला कि रोज़ वैली ने अवैध रूप से और धोखाधड़ी से पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और ओडिशा राज्य में आम जनता से 12363.63 करोड़ रुपये (लगभग) सार्वजनिक धन एकत्र किया। इसके अलावा, रोज़ वैली ने कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश

राज्यों से अवैध रूप से और धोखाधड़ी से 3120.97 करोड़ रुपये (लगभग) से अधिक की सार्वजनिक धनराशि एकत्र की। इसलिए डिबेंचर योजनाओं की आड़ में आम जनता से एकत्र की गई 12.82 करोड़ रुपये की धनराशि हिमशैल का एक सिरा है।

25. विद्वान महान्यायभिकर्ता श्री रंजीत कुमार ने आगे कहा कि "अनुसूचित अपराध" और " धन शोधन का अपराध" परस्पर अनन्य और एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। पीएमएलए की धारा 3 उक्त अधिनियम की धारा 4 के तहत दंडनीय धन शोधन के अपराध से संबंधित है जबकि 28 परिच्छेदों के तहत अपराध से जुड़े पीएमएलए की 'अनुसूची' प्रत्यर्थी को धन शोधन के अपराध से संबंधित साक्ष्य एकत्र करने के लिए जांच करने में सक्षम बनाती है। वर्तमान मामले में, प्रतिवादी ने पीएमएलए की धारा 45 के तहत शिकायत दर्ज की और इसका संज्ञान विशेष अदालत ने 02.04.2015 को पीएमएलए की धारा 44(1)(बी) के तहत लिया है। उन्होंने आगे कहा कि सेबी द्वारा दायर शिकायत का वर्तमान मामले की गुणदोषों से कोई लेना-देना नहीं है और उच्च न्यायालय ने सेबी की शिकायत की कार्यवाही पर इस आधार पर रोक लगा दी कि सीएमएम के पास नवीनतम संशोधन के रूप में अपराध का संज्ञान लेने का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि सेबी अधिनियम की धारा 26 में अपराध को सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय बनाया गया है।

26. विद्वान महान्यायभिकर्ता ने प्रस्तुत किया कि पीएमएलए की धारा 45 केवल 'विशेष न्यायालय' शब्द को संदर्भित करती है और इसलिए इसे प्रतिबंधित अर्थ दिया जाना चाहिए। उनके अनुसार पीएमएलए धन शोधन के विषय पर लागू एक 'विशेष कानून' है और आर्थिक अपराधियों और सफेदपोश अपराधियों से संबंधित है। पीएमएलए का उद्देश्य धन शोधन को रोकना और धन शोधन से प्राप्त या इसमें शामिल संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान करना है। अधिनियम की योजना को समर्थ बनाने के लिए पीएमएलए के विभिन्न प्रावधानों पर निर्भरता रखी गई थी। उन्होंने आगे कहा कि

पीएमएलए की धारा 44 केवल पीएमएलए के तहत अपराधों से निपटने के लिए विशेष न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्रदान करती है। पीएमएलए की धारा 45 धन शोधन के अपराध को संज्ञेय और गैर-जमानती बनाती है और यह भी प्रावधान करती है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधानों के विपरीत किसी भी व्यक्ति पर अनुसूची के भाग ए के तहत तीन साल से अधिक की कैद की सजा का आरोप नहीं लगाया जा सकता है, जिसे जमानत पर या अपने स्वयं के बन्धपत्र पर रिहा किया जाएगा जब तक कि लोक अभियोजक को ऐसी रिहाई के लिए आवेदन का विरोध करने का अवसर नहीं दिया गया हो।

27. विद्वान महान्यायभिकर्ता ने अंततः प्रस्तुत किया कि 'धन शोधन' एक आर्थिक अपराध है जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय हित के लिए एक गंभीर खतरा है और समाज के परिणामों की परवाह किए बिना व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य से शानदार गणना और सुविचारित डिज़ाइन के साथ प्रतिबद्ध है। इसलिए धन शोधकों के लिए कारागृह नियम है और जमानत एक अपवाद है जिसे इस न्यायालय के कई ऐतिहासिक निर्णयों से समर्थन मिलता है।

28. गुण के आधार पर जमानत के लिए आवेदन पर विचार करने से पहले यह विचार किया जाना चाहिए कि क्या दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत जमानत के लिए आवेदन पर विचार करते समय पीएमएलए की धारा 45 के प्रावधान उच्च न्यायालय पर बाध्यकारी हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पीएमएलए धन शोधन के अपराध से निपटता है और संसद ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रति देश की प्रतिबद्धता के अनुसार कानून बनाया है। पीएमएलए धन शोधन से निपटने के लिए संसद द्वारा अधिनियमित एक विशेष क़ानून है। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 5 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान किसी विशेष क़ानून या किसी

स्थानीय कानून को प्रभावित नहीं करेंगे। दूसरे शब्दों में, किसी भी संघर्ष की स्थिति में किसी विशेष क़ानून के प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता के सामान्य प्रावधानों पर हावी होंगे।

29. पीएमएलए की धारा 45 एक गैर-अप्रत्याशित खंड से शुरू होती है जो इंगित करती है कि पीएमएलए की धारा 45 में निर्धारित प्रावधान उनके बीच संघर्ष की स्थिति में दंड प्रक्रिया संहिता के सामान्य प्रावधानों पर अत्यधिक प्रभाव डालेंगे। पीएमएलए की धारा 45 पीएमएलए की अनुसूची के भाग-ए के तहत तीन साल से अधिक की कारावास की सजा वाले अपराध के आरोपी किसी भी व्यक्ति को जमानत देने के लिए निम्नलिखित दो शर्तें लगाती है: (i) अभियोजक को जमानत के आवेदन का विरोध करने का अवसर दिया जाना चाहिए; और (ii) न्यायालय को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि आरोपी व्यक्ति ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।

30. पीएमएलए की धारा 45 के तहत निर्दिष्ट शर्तें अनिवार्य हैं और उनका अनुपालन किया जाना आवश्यक है, जिसे पीएमएलए की धारा 65 और धारा 71 के प्रावधानों द्वारा और भी मजबूत किया गया है। धारा 65 माँग करता है कि द. प्र. सं. के प्रावधान तब तक लागू होंगे जब तक वे इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं हैं और धारा 71 में प्रावधान है कि पीएमएलए के प्रावधानों का, उस समय लागू किसी भी अन्य कानून में असंगत कुछ भी होने के बावजूद, अधिभावी प्रभाव होगा। पीएमएलए का एक अधिभावी प्रभाव है और द. प्र. सं. के प्रावधान केवल तभी लागू होंगे जब वे इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं होंगे। इसलिए द. प्र. सं. की धारा 439 के तहत जमानत के लिए आवेदन के संबंध में भी पीएमएलए की धारा 45 में उल्लिखित शर्तों का पालन करना होगा। धारा 24 के प्रावधानों के साथ यह प्रावधान है कि जब तक विपरीत साबित नहीं किया जाता है, प्राधिकरण या न्यायालय

यह मान लेगा कि अपराध की आय धन शोधन में शामिल है और यह साबित करने का भार अपीलकर्ता पर है कि अपराध की आय शामिल नहीं है।

31. अपीलकर्ता की ओर से यह प्रस्तुत किया गया कि सेबी अधिनियम की धारा 24 के साथ पढ़ी गई धारा 12ए में उक्त अधिनियम की धारा 24 को अनुसूचित अपराध के रूप में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन यह केवल धारा 12ए है जिसे अनुसूचित अपराध के रूप में माना जाना चाहिए। पीएमएलए की अनुसूची के परिच्छेद 11 के तहत उल्लिखित सेबी अधिनियम की धारा 24 के खिलाफ अपराध का विवरण उक्त अधिनियम की धारा 12 ए का हिस्सा है। इस संदर्भ में विद्वान महान्यायभिकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि पीएमएलए एक विशेष क़ानून है जिसे अनुसूची सहित इसके प्रावधानों की व्याख्या करते समय प्रतिबंधित अर्थ नहीं दिया जा सकता है, जो इस अधिनियम का एक अभिन्न अंग है। पीएमएलए को संयुक्त राष्ट्र के प्रति देश की प्रतिबद्धता और वैश्विक आयामों के अनुसार संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है और इसे हमारे देश की राष्ट्रीय सीमाओं तक सीमित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा इसके विधायी आशय को अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत संलग्न अनुसूची में प्रयुक्त भाषा को स्पष्ट रूप से पढ़कर समझा जाना चाहिए। इसलिए इसमें कोई अस्पष्टता नहीं है कि सेबी अधिनियम की धारा 24 अनुसूची के परिच्छेद 11 के तहत एक अनुसूचित अपराध है। तथ्य यह है कि सेबी अधिनियम की धारा 24 प्रकृति में समावेशी है और इसके परिधि और दायरे में धारा 12ए भी शामिल है। इसके अलावा, 28 परिच्छेदों में अनुसूची में सूचीबद्ध विभिन्न अपराधों के अवलोकन पर यह देखा जा सकता है कि अनुसूची में केवल क़ानून के दंडात्मक प्रावधानों को शामिल किया गया है। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सेबी अधिनियम की धारा 24 समावेशी प्रकृति का एक दंडात्मक प्रावधान है और इस प्रकार यह पीएमएलए के तहत अनुसूचित अपराध के विधायी इरादे को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। माना जाता है कि सेबी

द्वारा अपीलकर्ता के खिलाफ पीएमएलए की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध करने के आरोप में शिकायत दर्ज की गई थी। शिकायत से पता चलता है कि सेबी को कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ("आरओसी"), पश्चिम बंगाल के कार्यालय से रोज वैली के संदर्भ में एक पत्र मिला था, जिसमें आरओसी ने कहा था कि रोज वैली ने वर्ष 2001-2002, 2004-2005, 2005-2006 और 2007 -2008 में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 49 से अधिक व्यक्तियों को आरओसी या सेबी के साथ प्रस्ताव दस्तावेज दाखिल किए बिना बार-बार डिबेंचर जारी किए हैं और सेबी से मामले की जांच करने का अनुरोध किया गया। आरओसी द्वारा प्रदान की गई जानकारी से, यह देखा गया कि रोज़ वैली ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 67(3) के पहले प्रावधान के अनुसार प्रतिभूतियों के आईपीओ से संबंधित मानदंडों का पालन किए बिना आम जनता को सुरक्षित डिबेंचर जारी करके 2585 व्यक्तियों से कुल 1282.225 लाख रुपये जुटाए थे। रोज़ वैली ने सार्वजनिक निर्गम मानदंडों का अनुपालन किए बिना, 2001-2002 से 2007-2008 के बीच की अवधि के दौरान डिबेंचर का सार्वजनिक निर्गम जारी करके, पूर्ववर्ती सेबी (प्रकटीकरण और निवेशक संरक्षण) दिशानिर्देश, 2000 के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 117(ए) के प्रावधानों और सेबी अधिनियम के अन्य प्रावधानों का उल्लंघन किया है, जो पीएमएलए के तहत एक अनुसूचित अपराध है।

32. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है। इस स्तर पर हमने खुद को उन सवालों पर निर्णय लेने से रोक लिया है जिन्हें इस स्तर पर उठाने की कोशिश की गई है क्योंकि यह एक जमानत याचिका के अलावा और कुछ नहीं है। हम यह नहीं भूल सकते कि यह मामला "धन शोधन" से संबंधित है जो हमें लगता है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय हित के लिए एक गंभीर खतरा है। हम इस तथ्य को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते कि योजनाएँ सोच-समझकर और व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य

से गणनात्मक तरीके से तैयार की गई हैं, भले ही समाज के सदस्यों पर इसका परिणाम कुछ भी हो।

33. अपीलकर्ता की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोपाल सुब्रमण्यम द्वारा उठाए गए सवालों के संबंध में, इस स्तर पर, हमें नहीं लगता कि हमें इस तथ्य, जैसा कि हमारे सामने बताया गया है कि मामला रिट क्षेत्राधिकार में उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के समक्ष लंबित है, को ध्यान में रखते हुए जवाब देना चाहिए या उससे निपटना चाहिए। इसलिए हमारे द्वारा किया गया कोई भी अवलोकन या टीका (टिप्पणी) दोनों पक्षों के मामले पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। इसलिए हमें लगता है कि जमानत से संबंधित मामले से निपटना ही हमारे लिए उचित होगा। हम ध्यान दें कि अपीलकर्ता के खिलाफ पीएमएलए की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध करने के आरोप में शिकायत दर्ज की गई है।अपीलकर्ता की ओर से उठाया गया तर्क, कि सेबी अधिनियम की धारा 24 के तहत अपीलकर्ता के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है जो कि पीएमएलए के तहत एक अनुसूचित अपराध है, को उत्तरदाताओं द्वारा जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्रियों से विचार किये जाने की आवश्यकता है। सक्षम न्यायालय द्वारा अभी तक ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है जिसमें कहा गया हो कि सेबी अधिनियम की धारा 24 के तहत अपीलकर्ता के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है और यह उल्लेखनीय होगा कि सेबी अधिनियम की धारा 24 के तहत एक आपराधिक पुनरीक्षण में अपीलकर्ता के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही को रद्द करने के लिए की गयी प्रार्थना अभी भी उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए लंबित है। हमने देखा है कि पीएमएलए की धारा 45 उनके बीच संघर्ष की स्थिति में दण्ड प्रक्रिया संहिता के सामान्य प्रावधानों पर अधिभावी प्रभाव डालेगी। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, पीएमएलए की धारा 45 जमानत देने के लिए दो शर्तें लगाती है जो उक्त अधिनियम के तहत निर्दिष्ट हैं। हमने उक्त अधिनियम की धारा 45 के परंतुक को नहीं छोड़ा है जो

इंगित करता है कि विधायिका ने विशेष न्यायालय द्वारा जमानत देने के लिए एक अपवाद बनाया है जब कोई व्यक्ति 16 वर्ष से कम उम्र का हो या महिला हो या बीमार हो या अशक्त हो । इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि पीएमएलए की धारा 45 ए के तहत निर्धारित शर्तें उच्च न्यायालय को विशेष कानून के प्रावधानों के रूप में बाध्य करेंगी जो किसी व्यक्ति, पर पीएमएलए की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध करने का आरोप है, को भी जमानत देने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के प्रावधानों पर अधिभावी प्रभाव डालेंगे, भले ही जमानत के लिए आवेदन पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत विचार किया जा रहा हो।

34. हमने इस न्यायालय द्वारा सुब्रत चट्टोराज बनाम भारत संघ और अन्य, (2014) 8 एससीसी 768, विशेष रूप से परिच्छेद 35.4 में दिए गए निर्देशों को नोट किया है।

35. हम इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि अपीलकर्ता ने उच्च रिटर्न के वादे पर निवेशकों को अपनी विभिन्न कंपनियों में निवेश करने के लिए लुभाने के लिए 27 कंपनियां बनाईं और बड़े पैमाने पर जनता से धन एकत्र किया गया जिसे बाद में रोज वैली समूह की संबद्ध कंपनियों में सफेद कर दिया गया और इसका उपयोग चल और अचल संपत्तियों को खरीदने के लिए किया जाता था।

36. हम इस तथ्य को छोड़कर अन्य तथ्यों को बताने का आशय नहीं रखते हैं कि अपीलकर्ता के खिलाफ पीएमएलए की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध करने के आरोप में शिकायत दर्ज की गई थी। अपीलकर्ता की ओर से दिया गया तर्क कि सेबी अधिनियम की धारा 24 के तहत अपीलकर्ता के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है जो कि पीएमएलए के तहत एक अनुसूचित अपराध है, अन्वेषण के दौरान एकत्र की गई सामग्री ध्यान में रखे जाने और आगे विधि के सक्षम न्यायालय द्वारा विचार किये जाने

की आवश्यकता है। हम इस स्तर पर इस संबंध में खुद को व्यक्त करने का आशय नहीं रखते हैं क्योंकि इससे अन्य कार्यवाही में पक्षकारों के मामले पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। हमें यकीन है कि इस स्तर पर यह अपेक्षित नहीं है कि आरोपी का अपराध सबूतों के माध्यम से उचित संदेह से परे स्थापित किया जाए। हमने नोट किया है कि वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो, (2013) 7 एससीसी 439, इस न्यायालय ने देखा है कि गहरी साजिशों वाले और सार्वजनिक धन की भारी हानि को शामिल करने वाले आर्थिक अपराधों को गंभीरता से देखे जाने और समग्र रूप से देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है और इससे देश के वित्तीय स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा हो रहा है, ऐसा गंभीर अपराध माने जाने की आवश्यकता है । भारत संघ बनाम हसन अली खान, (2011) 10 एससीसी 235 में, इस न्यायालय ने निर्धारित किया है कि जब अपराध की आय को बेदाग धन के रूप में पेश करने का प्रयास किया जाता है तो सबूत का भार क्या होगा। उक्त परिच्छेद में यह माना गया है कि आरोप अंततः स्थापित नहीं हो सकते हैं लेकिन लगाए जाने के बाद सबूत का भार यह है कि पैसा अपराध की आय नहीं थी और इसलिए पीएमएल अधिनियम, 2002 की धारा 24 के तहत आरोपी व्यक्तियों पर दाग लगा दिया गया। श्रीमती जनता झा बनाम सहायक निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय (2011 का सीआरएलएमसी नंबर 114, 16 दिसंबर, 2013 को निर्णित) के असूचित निर्णय में उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा कानून के उसी प्रस्ताव को दोहराया और उसका पालन किया गया है। इसलिए कानून के इन सभी प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए हमें लगता है कि अपीलकर्ता की जमानत के लिए आवेदन को इस स्तर पर देखा जाना चाहिए जबकि अपीलकर्ता सामान्य रूप से आर्थिक अपराध, और विशेष रूप से पीएमएलए की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध में शामिल है।

37. हमने आगे नोट किया है कि उच्च न्यायालय ने जमानत आवेदन अस्वीकार करते समय इस तथ्य पर विधिवत विचार किया और आरबीआई, कोलकाता के सहायक

महाप्रबंधक के बयान, जब्ती सूची, रोज़ वैली के निदेशकों के बयानों, रोज़ वैली के पदाधिकारियों के बयानों, रोज़ वैली के डिबेंचर ट्रस्टियों के बयानों, रोज़ वैली के डिबेंचर धारकों के बयानों, रोज़ वैली के खातों के एजीएम के बयानों और रोज़ वैली के क्षेत्रीय प्रबंधकों के बयानों पर भी, यह राय बनाने के लिए कि क्या अपीलकर्ता धन शोधन के अपराध में शामिल है, विचार किया और अन्वेषण के दौरान एकत्र किए गए उक्त बयानों और अन्य सामग्रियों पर विचार करते हुए उच्च न्यायालय ने विशेष रूप से इस प्रकार कहा:

> "पी.एम.एल. अधिनियम की धारा 45(1) के प्रावधान के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाकर और सेबी के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करके सुरक्षित डिबेंचर जारी करने के लिए खुले बाजार से धन एकत्र करने में याचिकाकर्ता के पूर्ववृत्त पर विचार करके और रोज़ वैली का हिसाब-किताब रखने के तरीके के आधार पर आगे के विचार पर मैं यह मानने में असमर्थ हूं कि याचिकाकर्ता द्वारा जमानत पर रहते हुए कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। परिणामस्वरूप, मैं इस स्तर पर याचिकाकर्ता को जमानत देने के लिए खुद को राजी नहीं कर सकता हूं। इसलिए जमानत की प्रार्थना खारिज की जाती है। आवेदन खारिज किया जाता है।"

38. इन परिस्थितियों में हम यह नहीं पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अपने विवेक का प्रयोग चंचलता से या मनमाने ढंग से किया है। हम आगे नोट करते हैं कि उच्च न्यायालय ने सभी प्रासंगिक कागजात मंगवाए हैं और उन पर विधिवत ध्यान दिया है और उसके बाद अपनी अंतरात्मा की संतुष्टि के बाद जमानत देने से इनकार कर दिया है। इसलिए हमें नहीं लगता कि उच्च न्यायालय ने दी गई परिस्थितियों में जमानत देने से इनकार करके

कोई गलती की है। तदनुसार, हमें उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है और उक्त आदेश को चुनौती देने वाली जमानत, जैसा कि हमारे समक्ष प्रार्थना की गई थी, अस्वीकार की जाती है। फलस्वरूप अपील खारिज की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफ़िशयल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता एन. एन. शर्मा द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।